न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 06/2021
दायर दिनांकः 12.10.2021
निर्णय दिनांक 03.10.2025

–:अनवानः–

राज्य सरकार जरिये बेनी प्रशाद मीणा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त राजसमंद
– **प्रार्थी**

–:: **बनाम** ::–

श्री शम्भुसिंह पिता श्री सोहनसिंह राजपुत आयु 51 वर्ष निवासी सालेरा जिला राजसमंद थाना गंगापुर जिला भीलवाडा वगैरा – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जब्तशुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 1500 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एव विक्रय किये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री ललित साहु, अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

:: **निर्णय** ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए मे जब्तशुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 1500 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं विक्रय किये जाने वाले से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत निवेदन किया कि दिनांक 19.08.2021 को करीब 8:30 पीएम बजे थानाधिकारी कुवांरिया ने सुचना दी कि आज रात्री को डुमखेडा सीमा में स्थित होटल महादेव भोजनालय के पास एक पीकअप से दो व्यक्ति गाडीयो में अवैध तरीके से मिलावटी डीजल ईंधन के रूप में हमेशा भर रहे है और आज भी आने की विश्वसनीय सूचना है। वगैराह सूचना मिलने पर मैं प्रवर्तन निरीक्षक कांकरोली से रवाना होकर 9:30 पी0एम0 पर महादेव भोजनालय पहुॅचा श्रीमान वृताधिकारी राजसमन्द भी तशरीफ ले आये तथा थाना कुवारिया से जाप्ता श्री हरिसिंह स0उ0नि0, श्री हरिसिंह हैड कानि0 86 भी उपस्थित आये है। और एक तरफ रूककर निगरानी करने लगे इतने में करीब 10.10 पी0एम0 पर एक पिकअप जिसकी बौडी पर सफेद रंग तिरपाल लगा होकर उसमें दो व्यक्ति बैठे होकर आकर खड़ी हुई और हमें देखकर चालक ने पुनः ले जाने का प्रयास किया जिसे जाप्ता पुलिस ने रुकवा कर अन्दर बैठे व्यक्तियो का नाम पता पुछा तो अपना नाम श्री शम्भुसिंह पिता श्री सोहनसिंह राजपुत आयु 51 वर्ष निवासी सालेरा थाना गंगापुर जिला भीलवाडा एवं लादुलाल पिता श्री उदयराम गुर्जर आयु 37 वर्ष निवासी महासिंह जी का खेड़ा थाना दिवेर जिला राजसमन्द होना बताया तथा पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 है। पुलिस जाप्ता के साथ उक्त पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 का अवलोकन किया गया तो पिकअप के पिछे बोडी में एक लोहे की चौकोर टंकी रखी हुई हो टंकी पर ही एक मीटर बोक्स लगा हो तरल पदार्थ भरने की नोजल पाईप लगी हुई थी। पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चैक किया तो उसमें डीजल जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। उक्त पिकअप के डाले में रखी टंकी में भरा

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील पदार्थ होकर अवैध तरीके से वाहनो में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाना पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को टंकी में से नोजल से निकालकर सुघने, देखने व छूने पर चिकनाई युक्त वाहन ईधन जैसा पदार्थ होना पाया। मौक पर उपस्थित श्री शम्भुसिह व लादु लाल गुर्जर से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज के बारे में पूछने पर अपने पास इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। मौके पर पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 में पड़ी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ नकली डीजल या वाहन ईधन द्रव्य पदार्थ होने की सम्भावना होने से सेम्पलिग हेतु विक्रय अधिकारी इण्डियन ऑयल विरेन्द्र मीणा से वार्ता की गई तो उनका प्रतिनिधि कुरबान हुसैन एण्ड सन्स पट्रोल पम्प से मुस्तफा मय एल्युमिनीयम की तीन बोतलें, डेन्सीटीमीटर, सील प्लास्टिक की बाल्टी लोहे का ड्रम के उपस्थित आया। एल्युमिनीयम की तीनों बोतलो को पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 में पड़ी लोहे की टंकी से निकाले गये मिलावटी डिजल से धोकर व सुखाकर उसी टंकी से क्रमशः नमुना सेम्पल व कंट्रोल सेम्पल मार्क ए बी सी एल्यूमिनियम को एक एक लीटर की बोतलो में लेकर बोतलों को लकड़ी के बॉक्स में रख सीलवीट किया। इसी प्रकार पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को नोजल से एक साफ लोहे के अलग अलग ड्रमों में भरकर माप किया तो करीब 1500 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया। जिसकी हाई स्पीड डिजल डेन्सीटी मीटर से डेन्सिटी 819 रिडिग 30 डिग्री सेन्टीग्रेड पर ऐसिटी बार्ट में 829.5 होना पाया गया। उक्त मिलावटी डीजल पुनः उसी पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरा गया। पिकअप मे रखी लोहे की टंकी में भरा तरल पदार्थ व अन्य सामान को व पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 को जरिये फर्द मौके पर वृत्ताधिकारी राजसमन्द द्वारा जब्त किया गया। मौके पर उक्त पिकअप से अवैध तरीके से बिना सुरक्षा उपायो के तथा बिना विक्रय सम्बन्धी दस्तावेजो व बिना अनुज्ञापत्र के अमान्य वाहन ईंधन तरल पदार्थ को ईंधन के रूप में वाहनो में भरकर अनुचित लाभ प्राप्त करना विपक्षीगण श्री शम्भुसिंह पिता श्री सोहनसिंह राजपुत आयु 51 वर्ष निवासी सालेरा थाना गंगापुर जिला भीलवाडा एवम लादुलाल पिता श्री उदयराम गुर्जर आयु 37 वर्ष निवासी महासिंह जी का खेड़ा थाना दिवेर जिला राजसमन्द के विरुद्ध अपराध धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट व उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लोज 2 (क्यु) (आर), 3 (4) (6).4 व धारा 420.285 भा0द0स0 का दण्डनीय अपराध पाया जाता है। जब्तशुदा सामग्री, वाहन, सेम्पल व विपक्षीगण श्री शम्भुसिंह व लादुलाल एवम् पुलिस जाप्ते के साथ थाने पर आया हूँ। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 84/2021 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट व उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लोज 2 (क्यु) (आर), 3(4) (6)4 व धारा 420,285 भा0द0स0 में दर्ज कर अनुसंधान मन् थानाधिकारी पेशावर खान ने प्रारम्भ किया गया व मुर्तिबशुदा फर्दात पर प्रकरण संख्या सुर्खी से अंकित किये गये व जब्तशुदा पीकअप गाडी मय डीजल से भरी हुई को हमराह साथ में लेकर आये जिसको थाना हाजा में परिसर में सुरक्षित खड़ी करवाई व मालखाना एचएम को संम्भलाई गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पीकअप में रखी लोहे की टंकी में भरा हुआ 1500 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कपा करे चुंकी उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है। अतः धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तिरम निस्तारण (नष्ट) करने के आदेश प्रदान कराने की कपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री ललित साहु द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी वाहन स्वामी पवनदास पुत्र रामदास ने वाहन पिकअप संख्या आर जे 03 जी ए 1272 को छुड़ाने हेतु अपराध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 285 भा.द.स. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 451–457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तहत वाहन छुड़ाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2022 को प्रार्थी पवन दास पुत्र रामदास का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 07.03.2022 को वाहन को छोड़ा गया।

वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी राजकीय अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 19.08.2021 को एक पिकअप जिसकी बौडी पर सफेद रंग तिरपाल लगा होकर उसमें दो व्यक्ति बैठे होकर आकर खड़ी हुई और हमें देखकर चालक ने पुनः ले जाने का प्रयास किया जिसे जाप्ता पुलिस ने रुकवा कर अन्दर बैठे व्यक्तियों का नाम पता पुछा तो अपना नाम श्री शम्भुसिंह पिता श्री सोहनसिंह राजपुत आयु 51 वर्ष निवासी सालेरा थाना गंगापुर जिला भीलवाडा एवं लादुलाल पिता श्री उदयराम गुर्जर आयु 37 वर्ष निवासी महासिंह जी का खेड़ा थाना दिवेर जिला राजसमन्द होना बताया तथा पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 है। पुलिस जाप्ता के साथ उक्त पिकअप नम्बर आर0जे0 03 जी0ए0 1272 का अवलोकन किया गया तो पिकअप के पिछे बोडी में एक लोहे की चौकोर टंकी रखी हुई हो टंकी पर ही एक मीटर बोक्स लगा हो तरल पदार्थ भरने की नोजल पाईप लगी हुई थी। पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चौक किया तो उसमें डीजल जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। उक्त पिकअप के डाले में रखी टंकी में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील पदार्थ होकर अवैध तरीके से वाहनो में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाना पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को टंकी में से नोजल से निकालकर सुघने, देखने व छूने पर चिकनाई युक्त वाहन ईधन जैसा पदार्थ होना पाया। मौक पर उपस्थित श्री शम्भुसिह व लादु लाल गुर्जर से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज के बारे में पूछने पर अपने पास इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। मौके पर उक्त पिकअप से अवैध तरीके से बिना सुरक्षा उपायो के तथा बिना विक्रय सम्बन्धी दस्तावेजो व बिना अनुज्ञापत्र के अमान्य वाहन ईंधन तरल पदार्थ को ईंधन के रूप में वाहनो में भरकर अनुचित लाभ प्राप्त करना विपक्षीगण के विरुद्ध अपराध धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट व उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लोज 2 (क्यु) (आर), 3 (4) (6).4 व धारा 420.285 भा0द0स0 का दण्डनीय अपराध पाया जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पीकअप में रखी लोहे की टंकी में भरा हुआ 1500 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कृपा करे चुंकी उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है। अतः धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तिरम निस्तारण (नष्ट) करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। यहां यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग अवैध कार्यो में किया जा रहा था तथा थानाधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 0084/2021 का अध्ययन किया। एफआईआर के अनुसार अवैध रासायनिक पदार्थ जो कि मिलावटी डीजल पाया गया तथा इस पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चैक किया तो उसमे डीजल जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। उक्त पिकअप के डाले में रखी टंकी मे भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील पदार्थ होकर अवैध तरीके से वाहनो में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ईंधन के रूप में उपयोग लिया जाना पाया गया अप्रार्थीगण से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से उपयोग किया जाना पाया जाता हैं।

अतः यहां यह स्पष्ट रूप से जाहिर आया है कि क्षैत्र में अवैध पट्रोल व डीजल का व्यवसाय करने वालो का समूह सक्रिय रूप से कार्यरत है। तथा अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री किया जाना न केवल मानव सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है अपितु इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अन्यथा उपयोग किये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सके। अतः बिना विक्रय संबंधी दस्तावेजो के अवैध तरल पदार्थ का विक्रय करना दस्तावेजो से प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा टंकी में संग्रहित कुल 1500 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 1500 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ मय समस्त अन्य सामान, जो उक्त कार्यावाही में जब्त किये गये है, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 1500 लीटर तरल रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ व समस्त अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)